राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 10(7)ग्रावि / नरेगा / संविदा / 2010

जयपुर, दिनांक: 12 APR 2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
हनुमानगढ़।

विषयः **पंचायत समिति स्तर पर कम्प्यूटर मय ऑपरेटर मय मशीन के अनुबन्ध बाबत।**

प्रसंगः **मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के पत्र कमांक संस्था / नरेगा / 09–10 / 22486 दिनांक 09.03.2010**

महोदय,

उपरोक्त विषायान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में निवेदन है कि पंचायत समिति मुख्यालय पर कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन जिनकी सेवाऐं पहले से ही गत वर्ष भी ली गई थी, उनका कार्य उच्च गुणवत्ता पूर्ण एवं सन्तोषजनक पाये जाने पर उनकी सेवाऐं इस वर्ष भी अनुबंध के आधार पर ली जा सकती है। इन कार्मिकों के साथ अनुबंध इस कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 19.02.2010 के साथ संलग्न नये प्रारूप में ही किया जाना है। साथ ही कम्प्यूटर के लिए संविदा में कुछ नई शर्ते भी जोडी जायेगी। जोडी जाने वाली शर्तो का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। इन शर्तो को दिनांक 19.02.2010 द्वारा भेजे गये अनुबंध में जोडकर नये संविदा अनुबंध किया जावे। यह प्रारूप ग्राम पंचायतों में लगाये जाने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन पर लागू नहीं होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की सेवाऐ किसी कम्पनी, फर्म या सेवा ऐजेन्सी के माध्यम से ही लेनी है।

भवदीय,

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(बद्रीनारायण)
अतिरिक्त आयुक्त, ईजीएस (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–

1. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, (हनुमानगढ़ को छोडकर) समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।

अतिरिक्त आयुक्त, ईजीएस (द्वितीय)

कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन के नियोजन हेतु किये जाने वाले अनुबंध की अतिरिक्त शर्तें

1. कम्प्यूटर का स्पेसिफिकेशन वहीं होगा जो वित्त विभाग के दिनांक 28.07.2008 में वर्णित है। फिर भी डीपीसी अपने स्तर पर आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बढा सकते है।
2. अनुबंधकर्ता को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवायें जारी रखनी होगी। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाले नया टोनर/नया रिबन प्रथम बार निविदादाता/अनुबंधकर्ता स्वयं के द्वारा दिया जायेगा, तत्पश्चात विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
3. किसी भी माह में चार कार्य दिवस/अनुबंध में वर्णित दिवसों से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा। यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह आपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 200/- रू. की कटौति की जावेगी।
4. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकर्ता/अनुबंधकर्ता की होगी। इसके लिये किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो 24 घंटे में मरम्मत करवाकर पुनः कम्प्यूटर उपलब्ध कराना होगा। यदि मरम्मत में इससे अधिक समय लगने की संभावना होगी तो कम्प्यूटर ऑपरेटर को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।यदि कम्प्यूटर ऑपरेटर महिने में चार अवकाश से अधिक अवकाश पर जाता है तो उसे अन्य ऑपरेटर की व्यवस्था करनी होगी।
6. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी। अतः यदि अनुबंधकर्ता चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
7. कम्प्यूटर सेवाओं के लिये किसी भी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जावेगा।
8. भुगतान मासिक तौर पर महिना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर नियमानुसार किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जावेगा।

Munjal